बैंक की योजना में परिवर्तन कर बैंकों की सहकारी समितियों—बृहदाकार बहुउद्देश्य समितियों (एल० ए० एम० पी० एस०) को, जो कि विशेषत: जनजाति के क्षेत्रों के हितों के लिए गठित की गई है, मध्यम के रूप में काम में लाने की इजाजत दे दी है।

(2) रोजगार प्रोत्साहन :—

हर बैंक से समग्रत: वार्षिक आधार पर प्रति शाखा प्रति मास कम से कम दो अतिरिक्त ऋणकर्ताओं को ऋण देने के लिए कहा गया है। जिन ब्लाकों के लिए विकास-कार्यक्रम तैयार हो गये हैं उन में स्वयं रोजगार योजनायें कार्यान्वित करने के लिये बैंक इस पर ध्यान देंगे तथा साथ ही इन योजनाओं को अन्य ब्लाकों में भी लागू करने का प्रयत्न करेंगे। जिला स्तरीय योजना तथा जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत अ० ज० तथा अ० ज० आ० को दिये गये महत्व को देखते हुए, इन समुदायों के लिये ऋण योजना भी महत्वपूर्ण होगी। अ० जा०/अ० ज० जाति के लिए स्वयं रोजगार जैसी विशेष योजनाएं तैयार की जायेंगी। जहां कहीं जनजातीय क्षेत्रों के लिए आई० टी० डी० पी० जैसी विशेष योजनाएं तैयार की जाती हैं, बैंक योजना तैयार करने में पूर्ण सहयोग देंगे तथा बैंक ऋण उपलब्ध करायेंगे।

(3) कृषि ऋण :—

बैंकों से कहा गया है कि सघन क्षेत्रीय विकास के लिए चुने गये 2000 ब्लाकों में कृषि ऋण देने के लिये वे विशेष प्रयास करेंगे। नये ब्लाकों का चयन करते समय, बेरोजगारी की निम्नमात्रा तथा कृषि उत्पादकता के अतिरिक्त, 20 प्रतिशत से अधिक अन० जाति जनसंख्या होना भी एक मापदण्ड है। जनजातीय क्षेत्रों में कार्यरत कृषि सेवा समिति (एफ० एस० एस०) तथा बृहदाकार बहुउद्देशीय समितियों (एल० ए० एम० पी०एस०) को वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दी जाने वाली कृषि ऋण सहायता में प्राथमिकता दी जायेगी।

(4) छोटे पैमाने के उद्योग :—

बैंकों से कहा गया है कि वे ऐसे शिल्पकारों और ग्रामीण/कुटीर उद्योगों के लिये, जिन की अलग अलग आवश्यकताएं 25,000 रु० से अधिक न हों, 11 प्रतिशत की दर से, पूंजी गत व्यय एवं कार्यकारी पूंजी दोनों ही विषयक ऋण आवश्यकता पूरी करने वाली मिश्रित ऋण योजनायें तैयार करें। पिछड़े क्षेत्रों में इन मिश्रित ऋणों की ब्याज दर 9-1/2 प्रतिशत होगी। इस समूह में अ० जा०/अ० ज० जाति के अधिक संख्या में व्याप्ति की संभावना है। वे ऋणकर्ता जो विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत ऋण के पात्र हैं विभेदी ब्याज दर योजना के अधीन यह मिश्रित ऋण 4 प्रतिशत की दर पर प्राप्त कर सकेंगे। अति लघु (टाइनी) उद्योगों तथा अन्य छोटे पैमाने के उद्योगों के बारे में, बैंकों से कहा गया है कि वे वित्तीय संस्थाओं तथा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए गठित विशेष प्रतिष्ठानों को उपकरण जुटायें तथा उत्पादों के विपणन म सहाता करें।

राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण लेने में किसानों को होने वाली कठिनाइयां

789. चौधरी राम गोपाल सिंह : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कृषि कार्यों के लिये और कृषि उपकरणों को खरीदने के लिये बैंकों से ऋण लेने में किसानों को होने वाली कठिनाइयों की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रक्रिया को सरल बनाने और अशिक्षित किसानों के लिये इसे और अधिक आसान बनाने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) तथा (ख). सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि प्रयोजनों तथा कृषि सम्बन्धी औजार खरीदने के लिये विभिन्न ऋण प्राप्ति की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए उपयुक्त कदम उठाये जाते हैं। भारत सरकार द्वारा गठित एक दिल ने हाल ही में कृषि ऋण सम्बन्धी आवेदन पत्रों और बैंकों द्वारा ऋण प्रदान करने की कार्यकारी कार्यप्रणाली की समीक्षा की है और अनेक सुझाव दिये हैं जिन से सभी कृषि सम्बन्धी ऋणों के विशेष कर छोटे और सीमांतिक किसानों की ऋणों के लिये बनाये गये आवेदन पत्रों तथा उन की प्रक्रिया सरल हो जाए। कार्यकारी दल ने अन्य बातों के साथ साथ सभी वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अपनाए जाने के लिए एक सामान्य आवेदन पत्र भी तैयार किया है और ऐसे ऋण प्राप्त करने के लिये उदार मानक निर्धारित किये हैं। यह भी निर्धारित किया गया है कि छोटे और सीमांतिक किसानों को दिए गए ऋण के मामले में अर्जित मनी पर जोर न दिया जाए।

Proceedings against Advertisers/ Companies who issued advertisements to Congress Souvenir

790. DR. BAPU KALDATE: Will the DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government have instituted any legal or departmental proceedings against advertisers/companies who issued advertisements to Congress Souvenir—Indian National Congress (O) in 1975-76 under Rule 6B(2) of the Income Tax Rules 1962;

(b) if so, the details thereof; and

(c) what action has been taken and against whom for the violation of the above Rule 6B(2)?